①

पत्रा सं०- 543
फाइल नं०- UP67136/44
दिनांक 8.9.2020

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, सोनभद्र वन प्रभाग सोनभद्र

2020 पत्रांक- 539 / सोनभद्र / ,दिनांक, रावर्ट्सगंज, सितम्बर 07 ,2020

सेवा में,

अधिशासी अभियन्ता,
पी0एम0जी0एस0वाई0 खण्ड,
लोक निर्माण विभाग,
रावर्ट्सगंज- सोनभद्र।

विषय- जनपद सोनभद्र के नक्सल प्रभावित क्षेत्र के अन्तर्गत पी0एम0जी0एस0वाई0 खण्ड लोक निर्माण विभाग, सोनभद्र द्वारा प्रस्तावित प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (एल0डब्लू0ई0) के अन्तर्गत आर0पी0के0 किमी0 45.00 से चरगड़ा,माचीं,देवहार,दरेंव,मड़पा, सम्पर्क मार्ग किमी0 00.00 से 22.00 तक के निर्माण हेतु कुल 15.255 हे0 आरक्षित वन भूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं बाधक 170 वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ- पर्यावरण,वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-2 लखनऊ का पत्रांक-संख्या-पी-60 / 81-2-2020-800(65) / 2020 दिनांक-28.08.2020 एवं मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग उ0प्र0 लखनऊ का पृष्ठांकन पत्र संख्या- 459 / 11-सी-FP/UP/Road/34160/2018 दिनांक-31.08.2020।

विषयगत प्रकरण में उत्तर प्रदेश शासन के संदर्भित पत्र दिनांक 28.08.2020 व मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी उ0प्र0 के संदर्भित पत्र दिनांक 31.08.2020 (छायाप्रति संलग्न) का अवलोकन करने का कष्ट करें। प्रश्नगत प्रकरण में उत्तर प्रदेश शासन के संदर्भित पत्र दिनांक 28.08.2020 द्वारा 27 शर्तो के अधीन सैद्धांतिक स्वीकृति आदेश जारी किया गया है। जिसकी अनुपालन आख्या उपलब्ध कराने हेतु मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी उ0प्र0 लखनऊ के संदर्भित पत्र दिनांक 31.08.2020 द्वारा निर्देशित किया गया है। उक्त के कम में अनुपालन आख्या 4 प्रतियों में उपलब्ध कराने का कष्ट करे ताकि अनुपालन आख्या उच्च स्तर के माध्यम से उ0प्र0 शासन की सेवा में प्रेषित करते हुए विधिवत स्वीकृति आदेश जारी करने हेतु अनुरोध किया जा सके।

बिंदु सं0- 16- इस शर्त के अनुपालन में परियोजना में प्रभावित 170 वृक्षो का गणना / छपान किया जाना है। मीरजापुर क्षेत्र अन्तर्गत मुख्य वन संरक्षक मीरजापुर द्वारा वानिकी कार्यो की पुनरीक्षित अनुसूचित दरें रू0 201 / - प्रतिदिन मजदूरी के अनुसार छपान हेतु 7.15 प्रति वृक्ष कोलतार का कीमत एवं सामग्री व श्रमांश सहित निर्धारित किया गया है। अतः 170 वृक्षो की गणना / छपान करने हेतु 170 x 7.15 = 1215.50 या 1216.00 (एक हजार दो सौ सोलह रूपये मात्र) का बैंक डाफ्ट जो अधोहस्ताक्षरी के पद नाम से बना हो तथा भारतीय स्टेट बैंक रावर्ट्सगंज शाखा पर देय हो, इस कार्यालय में उपलब्ध कराने का कष्ट करे।

बिंदु सं0- 20- इस शर्त के अनुपालन में माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202 / 1995 के अन्तर्गत आई0ए0 सं0- 566 एवं भारत सरकार के पत्र सं0- 5-3 / 2007- एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार प्रभावित 15.255 हे0 वन भूमि हस्तांतरण प्रस्ताव में संलग्न प्रमाण पत्र पर अंकित शुद्ध वर्तमान मुल्य (एन0पी0वी0) निर्धारित धनराशि 6,26,000.00 प्रति हे0 के दर से रू0- 95,49,630.00 तथा प्रभावित वन भूमि के समतुल्य गैर वन भूमि कैमूर वन्य जीव वन प्रभाग अन्तर्गत ग्राम- पेढ़- परगना- बड़हर, तहसील- घोरावल, जिला- सोनभद्र में 15.255 हे0 उपलब्ध कराया जाना प्रस्तावित है। प्रस्तावित गैर वन भूमि में क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो का रखरखाव हेतु प्रभागीय वनाधिकारी कैमूर वन्य जीव मीरजापुर

Scanned by CamScanner

द्वारा तैयार किये गये योजना जो कि वन भूमि हस्तांतरण प्रस्ताव में संलग्न है के अनुसार क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु रू0 51,44,400.00 इस प्रकार कुल रू0 1,46,94,030.00 की धनराशि कैम्पा फंड में ई- पोर्टल के माध्यम से उत्पन्न ई- चालान द्वारा जमा कराते हुये चालान की मूल प्रति उपलब्ध कराने का कष्ट करे।

उपरोक्तानुसार वांछित धनराशि जमा कराते हुये उ0प्र0 शासन द्वारा जारी सैद्धांतिक स्वीकृति की बिन्दुवार अनुपालन आख्या आवश्यक अभिलेखो सहित 4 प्रतियों में निम्न प्रारूप में इस कार्यालय में उपलब्ध कराने का कष्ट करे।

शर्त संख्या	शर्तो में उल्लिखित विवरण	शर्तो के अनुपालन का विवरण
1	2	3

उपरोक्त मांग पत्र में अंकित धनराशि आदि के सम्बन्ध में यदि उच्च स्तर से कोई निर्देश जारी किया जाता है तो उससे यह बाधित रहेगा। आपका ध्यान इस ओर आकृष्ट करना है कि मा0 न्यायालय तथा हैन्ड बुक आफ फारेस्ट कन्जर्वेशन एक्ट 1980 और फारेस्ट कन्जर्वेशन रूल्स 2003 के पेज न0- 84 के प्रस्तर 11.2 में निर्दिष्ट समस्त शर्तो/प्रतिबन्धो का अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे।

<u>संलग्नक- उपरोक्तानुसार।</u>

SK

(संजीव कुमार सिंह)
प्रभागीय वनाधिकारी
सोनभद्र वन प्रभाग, सोनभद्र

<u>संख्या- अ/समदिनांक।</u>

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, 17 राणा प्रताप मार्ग, उत्तर प्रदेश लखनऊ की सेवा में संदर्भित पत्र दिनांक 31.08.2020 के कम में।
2. मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर।
3. जिलाधिकारी सोनभद्र।
4. क्षेत्रीय वन अधिकारी मॉची को उ0प्र0 शासन के संदर्भित पत्र की छायाप्रति सहित।

(संजीव कुमार सिंह)
प्रभागीय वनाधिकारी
सोनभद्र वन प्रभाग, सोनभद्र

AEO/FCA/cashier

Scanned by CamScanner

पत्रा सं०-893
फाइल सं०-UP67136
दिनांक 3.9.2020

संख्या–पी–60 / 81–2–2020–800(65) / 2020

प्रेषक,

गौरव वर्मा,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक /
नोडल अधिकारी,
उ0प्र0 लखनऊ।

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग–2   लखनऊ, दिनांक 28 अगस्त, 2020

विषय– जनपद सोनभद्र के नक्सल प्रभावित क्षेत्र के अन्तर्गत पी.एम.जी.एस.वाई. खण्ड लोक निर्माण विभाग, सोनभद्र द्वारा प्रस्तावित प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (एल.डब्लू.ई.) के अन्तर्गत आर0पी0 के किमी0 45.00 से चरगडा, मांची, देवहार, दरेंव, मडपा सम्पर्क मार्ग किमी0 00.00 से 22.00 तक के निर्माण हेतु कुल 15.255 हे0 आरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं बाधक 170 वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

(प्रस्ताव संख्या–एफपी / यूपी / रोड / 34160 / 2018)

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या–190 / 11–सी–एफपी / यूपी / रोड / 34160 / 2018, दिनांक 24.07.2020 तथा शासन स्तर पर गठित समिति की दिनांक 18.08.2020 को सम्पन्न बैठक में लिये गये निर्णय के कम में निर्गत कार्यवृत्त संख्या–386 / 11–सी–कार्यवृत्त लखनऊ, दिनांक 19.08.2020 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करें।

2– इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के पत्र सं0–11–09 / 1989–एफसी–(एलडब्लूई), दिनांक 15.02.2018 के कम में जनपद सोनभद्र के नक्सल प्रभावित क्षेत्र के अन्तर्गत पी.एम.जी.एस.वाई. खण्ड लोक निर्माण विभाग, सोनभद्र द्वारा प्रस्तावित प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (एल.डब्लू.ई.) के अन्तर्गत आर0पी0 के किमी0 45.00 से चरगडा, मांची, देवहार, दरेंव, मडपा सम्पर्क मार्ग किमी0 00.00 से 22.00 तक के निर्माण हेतु कुल 15.255 हे0 आरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं बाधक 170 वृक्षों के पातन की सैद्धांतिक स्वीकृति भारत सरकार / राज्य सरकार एवं मा0 न्यायालय द्वारा प्रदत्त निम्नलिखित शर्तो / प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान की जाती है :–

1.	The forest area involved is not within a National Park and/or a Wild Life Sanctuary.
2.	User Agency (UA) shall explore all feasible alternatives to minimize use of forest land.
3.	Forest land to be used shall be restricted to the bare minimum and shall be used only when it is unavoidable.
4.	The UA will submit scheme for Compensatory Afforestation as per extant guidelines in the matter.
5.	The UA shall pay the applicable NPV in pursuance of the orders of the Hon'ble Supreme Court.
6.	In addition to monthly report of diversions of forest landunderGeneral Approval accorded by MoEF&CC, each State/UT Government shall submit half yearly reports for the period ending June 30 and December 31 containing details of all forest lands diverted under the General Approval along with the actual status of actual utilization of the forest lands so diverted for the stated purpose, to the MoEF&CC and its concerned Regional Office.
7.	The diversions and compliance to the conditions will be monitored by the concerned Regional Office, MoEF&CC.

Scanned by CamScanner

8.	The legal status of the land shall remain unchanged.
9.	The project site should be outside Protected Area Network and eco-sensitive zones (ESZ).
10.	The user agency will seek permission for diversion of forest land duly recommended by Principal Chief Conservator for Forests and from State/UT Government
11.	The Nodal Officer (Forest Conservator) shall submit monthly report to the concerned Regional office by 5th of every month regularly regarding approval of such cases.
12.	The User Agency shall be responsible for ant loss to flora/fauna in the surroundings and therefore, shall take all possible measures in this regard.
13.	The forest land shall not be used for any purpose other than specified in the proposal
14.	Entire process for settlement of rights in accordance with the provisions of FRA, 2006 shall be completed before grant of approval for diversion of such forest land.
15.	The State/UT Forest Department or State/UT Government or the concerned Regional Office, may impose any other condition from time to time in the interest of conservation, protection and/or development of forests
16.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित योजना में अपरिहार्य परिस्थिति एवं न्यूनतम संख्या में वृक्षों का पातन वन विभाग की देख–रेख में किया जायेगा तथा पातन लागिंग आदि का व्यय प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा।
17	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों/स्टाफ को रसोई गैस/किरोसिन तेल की आपूर्ति की जायेगी ताकि निकटवर्ती वनों की क्षति न हो।
18.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल/वनक्षेत्र के आस–पास मजदूरों/स्टाफ के लिए किसी भी प्रकार का कैम्प नहीं लगाया जायेगा।
19.	प्रभावित आरक्षित वनभूमि के सापेक्ष प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा उपलब्ध करायी जा रही समतुल्य गैर वनभूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण और दस वर्षो के लिए रख–रखाव किया जायेगा।
20.	प्रस्तावक विभाग द्वारा मा0उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई0ए0 संख्या–566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या–5–3/2007– एफ0 सी0, दिनांक 05–02–2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0), क्षतिपूरक वृक्षारोपण की धनराशि एवं अन्य अनुमन्य देयक, प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण (Compensatory Afforestation Fund, Management and Planning Authority) में वन विभाग के माध्यम से जमा की जायेगी। तत्पश्चात ही विधिवत् स्वीकृति पर विचार किया जायेगा।
21.	उक्त वनभूमि प्रस्तावक विभाग के उपयोग में प्रश्नगत अवधि के अन्दर तब तक रहेगी जब तक कि प्रस्तावक को उसकी उक्त हेतु आवश्यकता रहे। यदि प्रस्तावक को उक्त वनभूमि अथवा उसके किसी भाग की आवश्यकता न रहेगी तो यथास्थिति उक्त वनभूमि अथवा उसका ऐसा भाग जो प्रस्तावक विभाग के लिए आवश्यक न रहे, वन विभाग, उ0प्र0 सरकार को बिना किसी प्रतिकर का भुगतान किये यथास्थिति वापस प्राप्त हो जायेगी।
22.	प्रयोक्ता अभिकरण के द्वारा यह अण्डरटेकिंग देना होगा कि यदि इस अवधि की एन0पी0वी0 संशोधित होती है तो बढ़ी हुई धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण को जमा करना होगा।
23.	भारत सरकार के पत्र संख्या–5–3/2007–एफसी(पीटी), दिनांक 19–8–2010 तथा पत्र संख्या–J–11013/41/2006–IA-II(I), दिनांक 02 दिसम्बर, 2009 के अनुसार प्रस्तावक विभाग को कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व यह सुनिश्चित करना होगा कि उन्होंने, यदि लागू है तो (if applicable),कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व सक्षम स्तर से पर्यावरणीय अनापत्ति/अनुमोदन तथा वन्य जीव की दृष्टि से स्टैंडिंग कमेटी ऑफ नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ से अनुमोदन अलग–अलग प्राप्त कर लिया जायेगा।
24.	समस्त वैधानिक/प्रशासनिक अनापत्ति प्राप्त करने के उपरान्त ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
25.	उपरोक्त के अतिरिक्त समय–समय पर केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/मा0 न्यायालयों द्वारा दिये गये निर्देशों का अनुपालन प्रस्तावक विभाग द्वारा किया जायेगा।

Scanned by CamScanner

26.	पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्रांक:11–9/98–एफसी, दिनांक 08–07–2011 में दिये गये दिशों–निर्देशों के अनुसार राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित किये हुये भू–संदर्भित डिजीटल डाटा/मानचित्र प्रस्तुत करें, जिसमें वन सीमाओं को विशेष डाटा (shape) फाइल में दर्शाया गया हो।
27.	उपरोक्तानुसार निर्गत सैद्धांतिक स्वीकृति में उल्लिखित समस्त शर्तो/प्रतिबंधों के अनुपालनार्थ प्रभागीय निदेशक द्वारा स्थलीय निरीक्षण कराकर सत्यापन सम्बंधी प्रमाण पत्र के साथ ही अनुपालन आख्या प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाय। तदोपरान्त सुसंगत प्रमाण-पत्र के आधार पर ही विधिवत स्वीकृति निर्गत की जायेगी।

3– कृपया उपरोक्तानुसार अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

भवदीय,

(गौरव वर्मा)
विशेष सचिव।

<u>संख्या–पी–62/81–2–2020 एवं तददिनांक</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –

1. अपर महानिदेशक, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) अलीगंज लखनऊ।
2. मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर।
3. प्रभागीय वनाधिकारी, सोनभद्र वन प्रभाग, सोनभद्र।
4. जिलाधिकारी, सोनभद्र।
5. अधिशासी अभियंता, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना खण्ड, लोक निर्माण विभाग, सोनभद्र।
6. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(डॉ0 दीपक कोहली)
उप सचिव।

कार्यालय मुख्य वन सरंक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

पत्रांक– 459 /11–सी– FP/UP/Road/34160/2018, लखनऊ, दिनॉंकः अगस्त 31 , 2020

<u>प्रतिलिपिः–</u> मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर को इस आशय से प्रेषित कि सैद्धान्तिक स्वीकृति में उल्लिखित समस्त शर्तों के अनुपालन के कम में प्रयोक्ता एजेन्सी से वांछित धनराशि, ई–पोर्टल के माध्यम से उत्पन्न ई–चालान द्वारा जमा कराकर, सैद्धान्तिक स्वीकृति की बिन्दुवार अनुपालन आख्या भारत सरकार के निर्देशानुसार ऑनलाइन परिवेश पोर्टल पर अपलोड कराकर, इस कार्यालय के द्वारा प्रेषित निर्धारित प्रारूप में सम्बन्धित अभिलेखों सहित दो प्रतियों में उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

<u>प्रतिलिपिः–</u> प्रभागीय वनाधिकारी, सोनभद्र वन प्रभाग, सोनभद्र को इस आशय से प्रेषित कि सैद्धान्तिक स्वीकृति में उल्लिखित समस्त शर्तो के अनुपालन के कम में, प्रयोक्ता एजेन्सी से वांछित धनराशि, ई–पोर्टल के माध्यम से उत्पन्न ई–चालान द्वारा जमा कराकर, सैद्धान्तिक स्वीकृति की बिन्दुवार अनुपालन आख्या भारत सरकार के निर्देशानुसार ऑनलाइन परिवेश पोर्टल पर अपलोड कराकर, इस कार्यालय के द्वारा प्रेषित निर्धारित प्रारूप में सम्बन्धित अभिलेखों तथा उत्तर प्रदेश शासन के पत्र दिनांक 14.06.2017 के अनुपालन के क्रम में, वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के अंतर्गत गैर वानिकी प्रयोग हेतु निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति में उल्लिखित शर्तो/प्रतिबन्धो के पूर्णतः अनुपालन की स्थिति प्राप्त किये जाने हेतु स्थलीय जाँच करते हुये सत्यापन सम्बन्धी प्रमाण पत्र/उल्लंघन के सम्बन्ध में प्रमाण पत्र सहित सम्बन्धित मुख्य वन संरक्षक के माध्यम से दो प्रतियों में उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

<u>प्रतिलिपिः–</u> अधिशासी अभियन्ता, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना खण्ड, लो0नि0वि0, सोनभद्र को इस आशय से प्रेषित कि सैद्धान्तिक स्वीकृति में उल्लिखित समस्त शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुये भारत सरकार के निर्देशानुसार अनुपालन आख्या ऑनलाइन परिवेश पोर्टल पर अपलोड कर बिन्दुवार अनुपालन आख्या एवं सम्बन्धित अभिलेख प्रभागीय वनाधिकारी को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

31/8

(पंकज मिश्र)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ0प्र0, लखनऊ।

Scanned by CamScanner